निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 125 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **पशुचिकित्सा अधिकारी**, **पशुपालन विभाग**, **हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

पशुचिकित्सा अधिकारी, **पशुपालन विभाग**, **हल्द्वानी** के माह 05/2012 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो घनश्याम पाल/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री राजेश कुमार डोभाल/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 27/02/2019 से 28/02/2019 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की वर्तमान लेखापरीक्षा प्रथम बार की गयी। इस लेखापरीक्षा में माह 05/2012 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** विकास खंड हल्द्वानी के अंतर्गत पशुचिकित्सा, बधियाकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं अन्य विभागीय विकास कार्य।

(ii) (अ) विगत सात वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर-स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	193.1972	193.1972	1.25813	1.25813	-	-
2013-14	-	-	207.87579	207.87579	-	-	-	-
2014-15			250.39021	250.39021	-	-	-	-
2015-16	-	-	262.42082	262.42082	-	-	-	-
2016-17	-	-	299.72	299.72	1.85	1.85	-	
2017-18	-	-	349.11	349.11	1.85	1.85	-	
2018-19 (up to 01/19)	-	-	410.24	333.94	2.95	0.62	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2012-13 से 2018-19 (01/2019 तक)	**शून्य**					

(स) राज्य पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2012-13 से 2018-19 (01/2019 तक)	**शून्य**					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर योजनागत व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'C'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

––सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून

–-निदेशक, पशुपालन विभाग, देहरादून

--- अपर निदेशक, कुमायूं मण्डल, पशुपालन विभाग, हल्द्वानी

--- मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, नैनीताल (भीमताल)

---- पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, हल्द्वानी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2016, 02/2017, 05/2017 एवं 07/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:1- शासनादेश के विपरीत राज्य की योजनाओं की धनराशि को बचत खाते मे जमा कर धनराशि ब्याज का अर्जन किया एवं अर्जित ब्याज की धनराशि से व्यय करना।

प्रमुख सचिव, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या-99/XXVII(14)/2009 दिनांक-03 सितंबर 2009 के अनुसार सरकार द्वारा राज्य की योजनाओं के पोषण हेतु भारी मात्रा मे धनराशि उच्च ब्याज दर पर लेकर संबन्धित विभागों को विकास योजनाओं हेतु उपलब्ध कराई जाती हैं सरकारी प्रतिष्ठानो, परिषदों, निकायों आदि मे समेकित निधि से आहरित धनराशि को तत्काल संबन्धित योजनाओं मे उपयोग करने के बजाय विभिन्न बैंकों मे रखा गया हैं। शासन द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपयोग न किया जा सके तो ऐसी धनराशि राजकोष मे लेखाशीर्ष 0049- ब्याज प्राप्तियों 04 मे जमा किया जाय।

कार्यालय पशु चिकित्साधिकारी, हल्द्वानी के लेखा अभिलेखों की जांच (01/2019) मे पाया गया कि कार्यालय द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की मदों मे प्राप्त धनराशि को कार्यालय के अंतर्गत संचालित बचत खाता (Bank of Baroda A/C No.09670100007843) मे जमा कर उन पर ब्याज अर्जित किया जा रहा था। कार्यालय द्वारा वर्ष 2010-11 से 2018-19 (01/2019) तक ब्याज के रूप मे `32665/=की धनराशि अर्जित हुई। लेखा परीक्षा मे आगे देखा गया कि शासनादेश के अनुसार अर्जित ब्याज की धनराशि को शासकीय खाते मे जमा नही कराई गई। अर्जित ब्याज से कार्यालय के संचालन व्यय किए गए जो कि शासनादेश मे उल्लिखित निर्देशों का उल्लंघन हैं।

उक्त के संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि नियमानुसार कार्यवाही संपादित कर ली जाएगी।

अत: शासनादेश के विपरीत राज्य की योजनाओं की धनराशि को बचत खाते मे जमा कर धनराशि ब्याज का अर्जन किया एवं अर्जित ब्याज की धनराशि से व्यय किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर:1 - स्टॉक पंजिका का सही रखरखाव नही करना एवं शासकीय प्राप्तियों के सापेक्ष प्राप्ति रसीद जारी नही किया जाना।

कार्यालय पशु चिकित्साधिकारी के क्रियाकलाप मे केन्द्रीय भंडार से प्राप्त दवाइयों का स्टॉक पंजिका मे संधारण तथा उनका वितरण हैं। नियमानुसार स्टॉक पंजिका मे केवल दवाइयों के नाम, मात्रा, प्राप्ति एवं निर्गत किए गए दवाइयों का विस्तृत विवरण ही इंद्रजित करना नही होता हैं बल्कि दवाइयों से संबन्धित दवाइयों की बैच संख्या, निर्माण एवं उनके कालातीत होने की तिथि भी दर्ज की जानी चाहिए। जिससे कालातीत हो चुकी दवाइयों के इस्तेमाल को रोका जा सके। एवं न ही Register of expiring medicine का संधारण किया जा रहा हैं।

उक्त के संबंध मे कार्यालय पशु चिकित्साधिकारी,हल्द्वानी (नैनीताल) के लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि स्टॉक पंजिका मे दवाइयों से संबन्धित बैच संख्या, निर्माण एवं उनके कालातीत होने की तिथि दर्ज नही की जा रही हैं। एवं Register of expiring medicine (for watching expire date) का भी संधारण नही किया जा रहा हैं।

इसके अलावा अभिलेखों मे यह भी देखा गया हैं कि Consultation Fee के रूप मे प्राप्त शासकीय प्राप्तियों के सापेक्ष प्राप्ति रसीद जारी नही की जा रही हैं।

उक्त के संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि दिये गए निर्देशानुसार कार्यवाही अपना ली जाएगी।

अत: स्टॉक पंजिका का सही रखरखाव नही करने एवं शासकीय प्राप्तियों के सापेक्ष प्राप्ति रसीद जारी नही करने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षणप्रतिवेदन संख्या	भाग– II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1. 2.	**नई इकाई**			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	टनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) डा॰ लीलेन्द्र जोशी/पशुचिकित्सा अधिकारी, डा॰ भुवन चन्द्र पंत/पशुचिकित्सा अधिकारी, श्री गोविंद वल्लभ सत्ती/पशुधन प्रसार अधिकारी, श्री उम्मेद सिंह गौड़ा/पशुधन प्रसार अधिकारी की सेवापुस्तिकाये।

2. सतत् अनियमितताएं :

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया ।

कम सं0 नाम पदनाम

(1) डा॰ डी॰ एस॰ भटोलिया/पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 (10.07.2010 से 16.06.2015 तक)

(2) डा॰ डी॰ सी॰ जोशी/ पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 (17.06.2015 से अब तक)

लघु एवं प्रकियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही ंहो सका उन्हे नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में ंसम्मिलित कर एक प्रति **पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र–।।